

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **भसुन्दर का टपरा** तहसील व जिला श्योपुर में कुल किता 11 कुल रकवा 7.210 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है

अतः जिला -श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम **भसुन्दर का टपरा** प.ह.न 18 रा.नि. वृत्त 01मानपुर में उक्त परियोजना के लिये 7.210 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -


स. क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	441	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.008	फल्लू पुत्र गोपाल हि0 1/2 रामस्वरूप पुत्र लडडू शांति पुत्री लडडू हि. 1/2 जाति जाटव नि. ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भू स्वामी भू.रा. 7.5
2	442	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.903	मलखान पुत्र हीरालाल जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूदान भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित भू.रा. 4.50
3	443	शासकीय पट्टे से भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.187	अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा0 पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा0 सर0मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि0 ग्राम समान भाग शासकीय पट्टे से भूमिस्वामी भू.रा. 1.91
4	444	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.742	अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा0 पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा0 सर0मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि0 ग्राम समान भाग भूदान कृषक भू.रा.3.60
5	445	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.836	मांगीलाल पुत्र चम्पाराम जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भू- राजस्व 2.00

कलेक्टर (प.प्र.)  
जिला श्योपुर

6	446	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.214	छोटे सिंह पुत्र खिच्चू सिंह जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भूरा. 2.00
7	447	भूदान कृषक	कृषि भूमि	1.555	नीरज पत्नी दिनेशसिंह जाति ठाकुर पता नि0ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भूरा
8	448	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.888	अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा0 पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा0 सर0मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि0 ग्राम समान भाग भूदान कृषक भूरा.4.25
9	449	भूदान कृषक	कृषि भूमि	1.240	खिच्चूसिंह पुत्र फतेहसिंह जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम भूदान कृषक विक्रय से वर्जित भू रा.8.15
10	450	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.060	अभिलाखसिंह, अनुज सिंह अनुरागसिंह नाबा0 पुत्रगण महेशसिंह ममता पुत्री महेशसिंह मु. प्रेमलता वेवा महेश सिंह नाबा0 सर0मां खुद जाति जादौन ठाकुर पता नि0 ग्राम समान भाग शासकीय पटटे से भूमिस्वामी भूरा.4.43
11	471	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.577	अर्जुन सिंह पुत्र शिव प्रकाश जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम शासकीय पटटेदार से भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित भू- रा.4.75
कुल किता 11			कुल	7.210	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने का उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

  
कलेक्टर  
(स. प्र.)  
श्यापुर

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रेय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थान: श्योपुर

तारीख 08.08.2019



*Li*  
(बसंत कुरी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला श्योपुर (म.प्र.)

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

पू.क.31/अ-82/भू-अर्जन/2019-20/6305

प्रतिलिपि-

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामी प्रति भेजने हेतु ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु ।

*Li*  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला श्योपुर (म.प्र.)